




स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - हिमौरिया धनगिरी, जिला - कपासन



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं..... 785 ..... दायर दिनांक 03.10.2025 निर्णय दिनांक 04.10.2025

रिपोर्ट

क्र.सं..	नाम- ग्राम	खान.	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
3	धनगिरी	169	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसारीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वयेन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम धनगिरी में मूल हिमौरिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शुद्ध किंया जाकर राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक	
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

हस्ताक्षर पटवारी  
पटवारी  
सह. कपासन, जिला

हस्ताक्षर गिरदावर  
गिरदावर

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

पदेन सहायक कलक्टर कपासन

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन, जिला